पी. सदागोपन तथा अन्य

बनाम

भारतीय खाद्य निगम, आंचलिक अधिकारी (दक्षिण अंचल), इसके आंचलिक प्रबंधक एवं एक अन्य के माध्यम से।

20 मार्च, 1997

[के. रामास्वामी तथा एस. सघीर अहमद, न्यायमूर्तिगण]

सेवा विधि :

भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी विनियम, 1971 :

विनियम 10—सहायक श्रेणी-I से सहायक प्रबंधक श्रेणी-II के पद पर पदोन्नति—पदोन्नति हेतु विचार किए जाने के लिए पूर्वापेक्षा के रूप में सहायक श्रेणी-I के रूप में तीन वर्ष का अनुभव उपबंधित करने वाले विनियम—पदोन्नति बोर्ड द्वारा विनियम के अधीन निर्धारित मानकों में शिथिलता प्रदान करने वाले कार्यपालक निर्देश जारी किए गए—अभिनिर्धारित किया गया, कि कार्यपालक निर्देश वैधानिक विनियमों के प्रतिकूल जारी नहीं किए जा सकते—संबंधित प्राधिकारी सभी पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नतियों का अवधारण वैधानिक विनियमों के अनुसार करेंगे।

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार : 1983 की दीवानी अपील सं. 10651।

1977 की रिट अपील सं. 32 में मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 26.4.82 के निर्णय तथा आदेश से।

अमरीश कुमार, अपीलकर्ताओं की ओर से।

एस.जी. सम्बंदन तथा वाई.पी. राव (एन.पी.), उत्तरदाताओं की ओर से।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश प्रदत्त किया गया :

विशेष अनुमति द्वारा यह अपील, मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा 26 अप्रैल, 1982 को 1977 की रिट अपील सं. 32 में दिए गए निर्णय से उत्पन्न हुई है।

उत्तरदाता एम. सम्बंदन तथा अन्य ने उच्च न्यायालय में बोर्ड द्वारा जारी कार्यपालक निर्देशों के अनुसार पदोन्नति हेतु अपने मामलों पर विचार किए जाने के लिए निर्देश की माँग करते हुए रिट याचिका दाखिल की थी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने याचिका को निरस्त कर दिया। अपील में, खंडपीठ ने बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों का अवलंबन किया और अभिनिर्धारित किया कि पदोन्नति बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार की जानी चाहिए, जो आंचलिक पदोन्नतियों पर आबद्धकारी हैं। वे निर्देश कर्मचारी विनियमों के विनियम 91 के प्रयोग में जारी किए गए थे। अतः प्रश्न यह है कि क्या खंडपीठ द्वारा ग्रहण किया गया दृष्टिकोण विधि में सही है? कर्मचारी विनियम, 1971 का विनियम 10 निम्नवत् है :—

> "सभी पदोन्नतियों पर, उस प्रयोजन हेतु विधिवत् गठित पदोन्नति बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा तथा उनका विनियमन निगम द्वारा समय-समय पर अभ्यर्थियों के चयन-क्षेत्र, पैनल के आकार तथा पैनल की वैधता के संबंध में जारी किए जाने वाले सामान्य निर्देशों द्वारा किया जाएगा।"

विनियम में यह उपबंध है कि ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने सहायक श्रेणी-I के रूप में तीन वर्ष का अनुभव प्राप्त कर लिया है, सहायक प्रबंधक श्रेणी-II के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किए जाने के लिए पात्र हैं। अब यह विधिक स्थिति सुस्थापित है कि कार्यपालक निर्देश वैधानिक विनियमों के प्रतिकूल जारी नहीं किए जा सकते। इस तथ्य के दृष्टिगत कि वैधानिक विनियम यह अपेक्षा करते हैं कि श्रेणी-I के पद से श्रेणी-II के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किए जाने के लिए तीन वर्ष का अनुभव एक पूर्व-शर्त है, यह स्पष्ट है कि कोई भी शिथिलता उपर्युक्त विनियमों के निष्प्रभावन में थी। इसलिए, खंडपीठ बोर्ड की उस शक्ति को उपधारित करने में सही नहीं थी, जिसके द्वारा वैधानिक विनियमों में शिथिलता प्रदान करने तथा सभी पात्र व्यक्तियों के दावों पर विचार किए बिना मामलों पर विचार करने का निर्देश दिया गया था। इसके अतिरिक्त, बाद में बोर्ड ने स्वयं 1970 के पैनल को निरस्त कर दिया। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की पदोन्नति के लिए जारी विनियमों पर भी विचार

किया जाना चाहिए। निर्विवाद रूप से, उन पर विचार नहीं किया गया था। चूँकि सभी व्यक्तियों के दावे हमारे समक्ष नहीं हैं, इसलिए हम इस स्तर पर विषय का समापन करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं। तदनुसार, हम खंडपीठ के आदेश को अपास्त करते हैं तथा संबंधित प्राधिकारियों को निर्देश देते हैं कि वे सभी पात्र व्यक्तियों की पदोन्नतियों का अवधारण वैधानिक विनियमों के अनुसार करें तथा इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर समुचित आदेश पारित करें।

तदनुसार, अपील अनुज्ञात की जाती है। उपर्युक्त निर्देशों के अधीन रिट याचिका निरस्त मानी जाएगी। कोई व्यय नहीं।

आर.पी. अपील अनुज्ञात की गई।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यावहारिक, कार्यालयीय, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।